न्यायालयः— मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, दूदू, जिला—जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	शिव कुमार II, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
मोटर दुर्घटना वाद संख्या	:	112/2019
सी.आई.एस. नं.	:	112/2019

1. रमेश दायमा पुत्र श्री कल्याण मल (मृतक के पिता)
2. श्रीमती संतोष पत्नि रमेश दायमा (मृतक की माता)
3. श्रीमती कानी देवी पत्नि कल्याण सहाय (मृतक की दादी)
4. कुमारी निशा पुत्री रमेश दायमा (छोटी बहन)
5. अमित पुत्र रमेश दायमा,

निवासीयान खटीकों का मोहल्ला दूदू, जिला जयपुर।

....प्रार्थीगण

बनाम

1. सुनील कुमार यादव पुत्र श्री कृष्ण कुमार यादव, निवासी मकान नम्बर 5, लवकुश नगर प्रथम, टोंक फाटक, थाना ज्योति नगर, जयपुर। (वाहन स्वामी पिकअप जीप संख्या आरजे 14 जी.सी. 8181)
2. मनोज वर्मा पुत्र श्री सीताराम वर्मा, निवासी प्लॉट नम्बर 44, शिव कॉलोनी, सुशीलपुरा सोडाला, जयपुर। (वरवक्त दुर्घटना वाहन चालक पिकअप जीप संख्या आरजे 14 जी.सी. 8181)
3. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिये क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय— 4, टीचर्स कॉलोनी, बाबा मार्केट मैन अजमेर रोड, डी.सी.एम. जयपुर। (वरवक्त दुर्घटना वाहन बीमा कम्पनी पिकअप जीप संख्या आरजे14 जी.सी. 8181)

पॉलिसी संख्या : 1413043117पी116582052

वैधता : 18.02.2018 से 17.02.2019

...अप्रार्थीगण

<u>आवेदन अंतर्गत धारा 140 व 166 मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम, 1988 सपठित नियम 10(2) मोटर वाहन नियम 1990 संशोधित नियम मोटर वाहन अधिनियम, 1994</u>

<u>उपस्थिति</u> :—

01— श्री जे.पी. असवाल, होनेश तंवर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।

02— श्री लोकेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं. 1 व 2।

03— श्री हर्ष माथुर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या—3 बीमा कंपनी।

– नि र्ण य –

दिनांक : 24.07.2026

1. प्रार्थीगण की ओर से उक्त याचिका सड़क दुर्घटना में मनीष दायमा की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति प्राप्त करने बाबत् दिनांक **04.05.2019** को प्रस्तुत की गयी हैं। याचिका में प्रार्थीगण ने **वाहन पिकअप नम्बर आरजे 14 जी.सी. 8181** को प्रश्नगत किया है।

2. याचिका में संक्षिप्त तथ्य यह बताये गये हैं कि दिनांक 12.10.2018 को समय करीब 2.30 से 3.00 पीएम के बीच जब मनीष दायमा टैम्पु नम्बर आरजे 14 जी बी 4783 से जा रहे थे। उक्त टैम्पू को महेन्द्र मीणा चला रहा था। जब वे ठिकरीया कट बगरू के पास पहुंचे तो एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 14 जी सी 8181 के ड्राईवर ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर उक्त टैम्पू को अचानक ओवरटेक कर कट मारकर आगे आ गया तथा अचानक ब्रेक मार दिया, जिससे टैम्पू उक्त पिकअप के लग गया, जिससे मनीष दायमा पुत्र रमेश दायमा गंभीर घायल हो गया तथा महेन्द्र मीणा का भी हाथ फ्रेक्चर हो गया। उपस्थित लोगों ने उन्हें एम्बुलेन्स से एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया जहां दौराने ईलाज मनीष 29.10.2018 को खत्म हो गया तथा महेन्द्र मीणा को छुट्टी मिलने पर अपने घर चला गया। ईलाज में व्यस्त होने के कारण स्वास्थ्य सुधार हेतु अपने घर जाने से रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई। उक्त दुर्घटना पिकअप नम्बर आरजे 14 जी सी 8181 के ड्राईवर द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर अचानक कट मारते हुये आगे आकर ब्रेक मारने से घटित हुई है। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बगरू में दर्ज कराई गई, जिसकी एफआईआर सं. 436/2018 है।

3. प्रार्थीगण ने याचिका में वक्त दुर्घटना मृतक मनीष दायमा की आयु 22 वर्ष होना, अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत सप्लाई, वेन की साफ सफाई एवं धुलाई, ड्राईविंग हेल्पर का कार्य कर 12000 रूपये व रात्रि 8 से 10 बजे तक महिन्द्रा कोचेज में सबठेकेदार राजीलाल चौहान के पास 8000 रूपये प्रतिमाह कुल 20000 रुपये मासिक आय अर्जित करना बताया। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या–1 को दुर्घटना में लिप्त वाहन का स्वामी व विपक्षी संख्या–2 को वाहन चालक होना एवं अप्रार्थी संख्या–3 को उक्त प्रश्नगत वाहन की बीमा कंपनी होना बताया है। अन्त में प्रार्थीगण ने विभिन्न मदों में अप्रार्थीगण से

संयुक्ततः एवं पृथक्–पृथक् रूप से प्रतिकर राशि 2,37,95,000/– रुपए (अक्षरे दो करोड़ सेतीस लाख पिचानवे हजार रुपए) की मांग की।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कम्पनी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर याचिका के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर अभिकथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में बीमा कम्पनी का किसी भी प्रकार का कोई क्षतिपूर्ति राशि अदायगी का दायित्व नहीं बनता है, क्योंकि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा वाहन आरजे 14 जी सी 8181 को गलत रूप से करीब 19 दिनों के बाद देरी से मुकदमा दर्ज करवाकर मात्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के आशय से मिलीभगत करके कथित घटना में अन्तर्लिप्त किया है। उपरोक्त प्रकरण में अन्य वाहन संख्या आरजे 20 जी बी 4783 को भी लिप्त बताया गया है, जिसके कि चालक व स्वामी तथा बीमा कम्पनी आदि पक्षकार मुकदमा नहीं बनाए गए है। कथित दुर्घटना के समय वाहन आरजे 14 जी सी 8181 के चालक के पास समुचित वर्ग के वाहन को चलाने के लिये वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था। जबकि प्रत्येक वाहन की बीमा पॉलिसी में यह एक परम आवश्यक शर्त निहित रहती है कि बीमित वाहन का चालन वाहन स्वामी वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस धारक से ही करवायेगा अन्यथा विपक्षी बीमा कम्पनी की किसी क्षतिपूर्ति राशि की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा वाहन का स्वामी इस तथ्य से अवगत था कि विपक्षी संख्या 2 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं है, फिर भी उसने उल्लेखित वाहन का चालन विपक्षी संख्या 2 से करवाया। अतः बीमा कम्पनी किसी क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी हेतु जिम्मेदार नहीं है। उल्लेखित वाहन की लिप्तता उपेक्षा या लापरवाही के कारण ना तो कथित दुर्घटना घटी व ना ही इस कारण से मृतक के कोई चोटें लगी जिससे कि उसकी मृत्यु हुई हो व ना ही कोई व्यय हुआ। माननीय न्यायालय किन्ही तकनीकी कारणों वश विपक्षी बीमा कम्पनी के उपर कोई दायित्व आयद करे तो योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुये दायित्व आयद करे। कथित घटना के समय वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रभावशील नहीं था, फिर भी वाहन स्वामी के द्वारा आज्ञापक विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुये वाहन का चालन किया गया। उल्लेखित वाहन का चालन कथित घटना के समय वाहन स्वामी के नियोजन में उनके लाभार्थ व हितार्थ नहीं हो रहा था। अतः विपक्षी बीमा कम्पनी किसी क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु जिम्मेदार नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण की याचिका अप्रार्थी संख्या–3 की हद तक खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. याचिका में पक्षकारों के आये उपरोक्त अभिवचनों व दस्तावेजों के आधार पर अधिकरण द्वारा निम्नांकित तनकीयात की संरचना की गयी :–

1. आया दिनांक 12.10.2018 को समय करीब दोपहर के 2.30 बजे से 3.00 बजे के मध्य ठिकरिया कट बगरू के पास, थाना बगरू, जिला जयपुर के क्षेत्राधिकार में अप्रार्थी क्रम सं. 2 ने अप्रार्थी क्रम सं. 1 के पंजीकृत वाहन स्वामी के स्वामित्व के वाहन पिकअप जीप नम्बर आरजे 14 जी सी 8181 को अप्रार्थी क्रम 1 के हितार्थ व लाभार्थ उसके नियोजन में तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर टैम्पू नम्बर आरजे 14 जी बी 4783 को ओवरटेक कर अचानक ब्रेक लगा दिये, जिसके कारण टैम्पू नम्बर आरजे 14 जी बी 4783 उक्त पिकअप से जा टकराया, जिससे उसमें सवार मनीष दायमा के शरीर पर आई गंभीर व प्राणघातक चोटों की वजह से मनीष दायमा की मृत्यु हो गई ?

2. क्या बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर क्लेम बीमा कंपनी के विरूद्ध खारिज योग्य है ?

3. क्या प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हां तो राशि क्या होगी एवं किस अप्रार्थी से वसूल योग्य होगी ?

4. अनुतोष।

6. प्रार्थीगण की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.–1 रमेश दायमा, ए.ड.2 रामजीलाल चौहान, ए.ड.3 महेन्द्र कुमार मीणा को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में फौजदारी दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 19, स्वतंत्र ठेकेदार संविदा अनुबन्ध पत्र दिनांक 01.10.2018 प्रदर्श 20, महिन्द्रा कोचेज प्राईवेट लिमिटेड जयपुर का हाजिरी रजिस्टर प्रदर्श 21, रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श 22 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया।

7. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

8. उभयपक्षों द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात् बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 12.10.2018 को समय करीब 2.30 से 3.00 पी.एम. के बीच जब मनीष दायमा टैम्पु नम्बर आरजे 14 जी बी 4783 से जा रहे थे। उक्त टैम्पू को महेन्द्र मीणा चला रहा था। जब वे ठिकरीया कट बगरू के पास पहुंचे तो एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 14 जी सी 8181 के ड्राईवर ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर उक्त टैम्पू को अचानक ओवरटेक कर कट मारकर आगे आ गया तथा अचानक

ब्रेक मार दिया, जिससे टैम्पू उक्त पिकअप के लग गया, जिससे मनीष दायमा पुत्र रमेश दायमा गंभीर घायल हो गया तथा महेन्द्र मीणा का भी हाथ फ्रेक्चर हो गया। उपस्थित लोगों ने उन्हें एम्बुलेन्स से एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया जहां दौराने ईलाज मनीष 29.10.2018 को खत्म हो गया तथा महेन्द्र मीणा को छुट्टी मिलने पर अपने घर चला गया। ईलाज में व्यस्त होने के कारण स्वास्थ्य सुधार हेतु अपने घर जाने से रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई। उक्त दुर्घटना पिकअप नम्बर आरजे 14 जी सी 8181 के ड्राईवर द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर अचानक कट मारते हुये आगे आकर ब्रेक मारने से घटित हुई है। प्रार्थीगण ने अपने क्लेम प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थीगण/क्लेमेंट्स क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे प्रार्थीगण की साक्ष्य का खण्डन होता हो। इसलिए प्रार्थीगण का क्षतिपूर्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांछित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से दिलायी जावे।

9. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कम्पनी ने अपनी जवाब याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा वाहन सं. आरजे 14 जी सी 8181 को गलत रूप से करीब 19 दिनों के बाद देरी से मुकदमा दर्ज करवाकर मात्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के आशय से मिलीभगत करके कथित घटना में अर्न्तलिप्त किया है। प्रकरण में प्रदर्श 22 रोजनामचा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें भी वाहन पिकअप की गलती नहीं बताई गई है तथा मात्र यही बताया गया है कि टायर फटने से घटना घटित हुई है। प्रकरण में एकमात्र उपेक्षा वाहन संख्या आरजे 20 जी बी 4783 की ही रही है, क्योंकि प्रकरण में कथित चक्षुदर्शी साक्षी ए.ड.3 महेन्द्र मीणा ने अपने कोर्ट बयानों में व एफआईआर में उल्लेख किया है कि पिकअप अचानक से आगे आ गई व ब्रेक लगा दिये, जबकि नक्शा मौका इस कहानी की ताईद नहीं करता है। प्रदर्श 21 में मनीष का नाम बाद में अंकित किया गया है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बीमा कम्पनी की हद तक खारिज किया जावें।

10. अधिकरण ने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अधिकरण का तनकीवार विश्लेषण एवं निष्कर्ष निम्न प्रकार है –

तनकी सं. 1

आया दिनांक 12.10.2018 को समय करीब दोपहर के 2.30 बजे से 3.00 बजे के मध्य ठिकरिया कट बगरू के पास, थाना बगरू, जिला जयपुर के क्षेत्राधिकार में अप्रार्थी क्रम सं. 2 ने अप्रार्थी क्रम सं. 1 के पंजीकृत वाहन स्वामी के स्वामित्व के वाहन पिकअप जीप नम्बर आरजे 14 जी सी 8181 को अप्रार्थी क्रम 1 के हितार्थ व लाभार्थ उसके नियोजन में तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर टैम्पू नम्बर आरजे 14 जी बी 4783 को ओवरटेक कर अचानक ब्रेक लगा दिये, जिसके कारण टैम्पू नम्बर आरजे 14 जी बी 4783 उक्त पिकअप से जा टकराया, जिससे उसमें सवार मनीष दायमा के शरीर पर आई गंभीर व प्राणघातक चोटों की वजह से मनीष दायमा की मृत्यु हो गई?

इस संबंध में पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो हस्तगत दुर्घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–3 परिवादी महेन्द्र कुमार मीना द्वारा पुलिस थाना बगरू पर दिनांक 01.11.2018 को इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गई है कि –

" वह जीवन सम्भल ट्रस्ट कोटा की अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत भोजन सप्लाई का कार्य बगरू, फुलेरा व सांभर में टैम्पू नम्बर आरजे 20 जी बी 4783 से ड्राईविंग कर सप्लाई कार्य करता है। दिनांक 12.10.2018 को वह अपने साथ जीवन सम्भल ट्रस्ट कोटा के अन्य कर्मचारी मनीष दाईमा के साथ उक्त टैम्पू में बगरू जा रहे थे कि समय करीब 2.30 पीएम और 3.00 पीएम के बीच जब वे ठिकरिया कट बगरू के पास पहुंचे तो एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 14 जी सी 8181 के ड्राईवर ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर उनके टैम्पू को अचानक ओवरटेक कर कट मारकर आगे आ गया तथा अचानक ब्रेक मार दिया, जिससे उसका टैम्पू उक्त पिकअप के लग गया। जिससे उसके साथ बैठा मनीष दाईमा पुत्र रमेश दाईमा निवासी खटीकों का मोहल्ला, दूदू गंभीर घायल हो गया तथा उसका भी हाथ फेक्चर हो गया। उपस्थित लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल पहुंचाया जहां दौराने ईलाज मनीष 29.10.2018 को इलाज खत्म हो गया तथा वह छुट्टी मिलने पर अपने घर भाग गया। ईलाज में व्यस्त होने के कारण स्वास्थ्य सुधार हेतु अपने घर आ जाने से रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुयी। उक्त दुर्घटना पिकअप नम्बर आरजे 14 जी सी 8181 के ड्राईवर द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर अचानक कट मारते हुये आगे आकर ब्रेक मारने से कारित हुयी। ....आदि। "

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य ए.ड.–1 रमेश दायमा ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मनीष दायमा उसका बडा पुत्र था, जिसने स्नातक कर रखा थ जो दिनांक 01.10.18 से जीवन सम्बल चेरिटेबल ट्रस्ट सिविल लाईन कोटा, राज के अधीन अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत भोजन सप्लाई कार्य बगरू, फुलेरा, सांभर में सप्लाई तथा वेन साफ सफाई व धुलाई एवं कैम्पर को अपलोड व अनलोड कर तथा ड्राईविंग हैल्पर कार्य करता था, जिसका मै. जीवन सम्बल चैरिटेबल ट्रस्ट से स्वतंत्र ठेकेदार संविदा अनुबन्ध था। जिसके तहत उसके पुत्र को 400 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि/वेतन मिलता था, अर्थात 12000 रूपये प्रतिमाह मिलते थे तथा वह कभी भी छुट्टी नहीं करता था। साथ ही रात्रि 8 से 10 बजे तक महिन्द्रा कोचेज रोड नम्बर 17 वीकेआई एरिया जयपुर में सबठेकेदार रामजीलाल चौहान के पास 8000 रूपये प्रतिमाह वेतन में लेबर कार्य करता था। इस प्रकार उसका पुत्र 20,000 रूपये प्रतिमाह कमाता था। दिनांक 12.10.018 को जब वे ठिकरिया कट बगरू के पास पहुंचे तो एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 14 जी सी 8181 के ड्राईवर ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर उक्त टैम्पु को अचानक ओवरटेक करते हुये कट मारकर आगे आ गया तथा अचानक ब्रेक मार दिया, जिससे टैम्पू उक्त पिकअप के लग गया, जिससे उसका पुत्र घ ाायल हो गया तथा महेन्द्र मीणा का भी हाथ फ्रेक्चर हो गया। 17 दिनों बाद दौराने ईलाज उसके पुत्र मनीष की दिनांक 29.10.2018 को मृत्यु हो गयी। उसका पुत्र एक हष्ट पुष्ट पढ़ा लिखा ग्रेजुएट कमाता खाता मेहनती लड़का था, वह व उसकी पत्नि व मृतक की दादी अत्यधिक बीमार रहते है तथा उसका पुत्र बड़ा होने के नाते वहीं कमाने वाला था। उसकी क्लेम याचिका के समर्थन में फौजदारी दस्तावेजात प्रदर्श पी 1 लगायत 19, स्वतंत्र ठेकेदार संविदा अनुबन्ध पत्र दिनांक 01.10.18 प्रदर्श 20 एवं रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श 22 है। अधिवक्ता बीमा कंपनी द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। घटना की बात उसे मनीष ने हॉस्पिटल जाने के बाद बतायी थी। जब वह हॉस्पिटल गया तब मनीष होश में था। मनीष की शादी नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि पिकअप चालक व स्वामी उनके जानकार या परिचित हो। उसके पुत्र के ईलाज व क्रियाक्रम में व्यस्त होने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके, बाद में करवायी थी।

गवाह ए.ड.2 रामजीलाल चौहान अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह महिन्द्रा कोचेज रोड नम्बर 17 वी.के.आई. एरिया जयपुर में मालिक एवं कोन्टरेक्टर श्री

सन्नी के सब ठेकेदार के रूप में कार्यरत है। मनीष दायमा पुत्र रमेश दायमा महिन्द्रा कोचेज इंडिया प्रा.लि. रोड नम्बर 17 वी.के.आं. जयपुर में उसके अधीन रात्रि 8 से 10 बजे तक कार्य करता था, जो कम्पनी में लैबर हेल्पर का कार्य करता था, जिसे प्रतिमाह 8000 रूपये वेतन उसके द्वारा दिया जाता था। उसके द्वारा प्रस्तुत हाजिरी रजिस्टर महिन्द्रा कोचेज प्राईवेट लिमिटेड जयपुर में हाजिरी होती थी, वह रजिस्टर प्रदर्श 21 है। अधिवक्ता बीमा कम्पनी द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श 21 पर उसके कही पर हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श 21 मात्र हाजिरी रजिस्टर है। सैलेरी इसी हाजिरी रजिस्टर से बनती है। वे सैलेरी का रजिस्टर नहीं रखते है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 21 में मनीष का नाम बाद में जोडा गया हो। यह कहना सही है कि उसने कोई सैलेरी स्लिप पेश नहीं की है। उसने मनीष को जीवन सम्बल कम्पनी में काम करते नहीं देखा।

गवाह ए.ड.3 महेन्द्र कुमार, जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट के तथ्यों की पूर्णतः ताईद की है। अधिवक्ता बीमा कम्पनी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह कथन करता है कि घटना 12.10.2018 की है। पिकअप जयपुर की तरफ आ रही थी तथा अजमेर की तरफ जा रही थी। घटना के समय ठिकरिया कट पर वह जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा था। पीछे से पिकअप वाले ने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद अचानक ब्रेक मारे। उसने बचाने की कोशिश की फिर भी पिकअप और टैम्पू कन्डेक्टर साइड से टच हो गया। वह खुद होश में था तथा उसने ही पिकअप के नम्बर देखे थे, जिसके नम्बर आरजे 14 जी सी 8181 थे। मनीष को तनख्वाह नकद देते थे।

इस प्रकार परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य में भी ऐसा कोई कथन सामने नहीं आया है, जिससे उक्त दुर्घटना घटित होने के संबंध में संदेह उत्पन्न होता हो। अतः उक्त प्रकरण में मृतक मनीष दायमा का वाहन पिकअप नम्बर आरजे 14 जी.सी. 8181 के चालक की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त होना एवं उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाना प्रमाणित होता है।

जहां तक उक्त प्रश्नगत वाहन पिकअप नम्बर आरजे 14 जी.सी. 8181 को अप्रार्थी संख्या–2 मनोज वर्मा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 वाहन स्वामी सुनील कुमार के नियोजन में एवं हितार्थ–लाभार्थ चलाये जाने का प्रश्न है तो उक्त याचिका में पेश फौजदारी दस्तावेज प्रदर्श–13 धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस में वाहन स्वामी सुनील कुमार द्वारा स्वयं को

पिकअप नम्बर आरजे 14 जी सी 8181 का स्वामी होना व दिनांक 12.10.2018 को समय 2.30 पीएम पर ठिकरिया तिराहा पर वक्त दुर्घटना वाहन को चालक मनोज द्वारा चलाया जाना बताया गया है व प्रदर्श–14 धारा 134 एमवी एक्ट के नोटिस में अप्रार्थी संख्या–2 मनोज वर्मा ने वक्त दुर्घटना उक्त वाहन का संचालन स्वयं द्वारा किये जाने का कथन किया है।

अतः यह प्रमाणित होता है कि वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या–2 मनोज वर्मा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 सुनील कुमार के वाहन को उसके नियोजन में एवं हितार्थ–लाभार्थ वाहन पिकअप नम्बर आरजे 14 जी.सी. 8181 का संचालन करते हुए उक्त दुर्घटना कारित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप आई चोटों के कारण मौके पर प्रार्थीगण के पुत्र/पोत्र/भाई मनीष दायमा की मृत्यु हो गयी।

इस तरह उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या–01 प्रार्थीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 2

क्या बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर क्लेम बीमा कंपनी के विरूद्ध खारिज योग्य है ?

इस संबंध में जहां तक बीमा कम्पनी के अधिवक्ता का यह तर्क कि वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक अप्रार्थी संख्या–1 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी सं. 2 मनोज कुमार के ड्राईविंग लाईसेंस के सम्बन्ध में आर.टी.ओ जगतपुरा से ली गई सूचना के अनुसार वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं. 2 का लाईसेंस वैध था। अर्थात् वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं.–2 वाहन चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। अतः बीमा कम्पनी की यह आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अप्रार्थी सं.–2 बीमा कंपनी का यह तर्क कि दुर्घटना की सूचना विहित समय सीमा अवधि में बीमा कम्पनी को नहीं दी गई थी, इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना की सूचना बीमा कम्पनी को नहीं दी गयी है परन्तु विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि केवल मात्र इस तकनीकी त्रुटि के आधार पर क्लेम याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

बीमा कम्पनी की यह आपत्ति कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 19 दिन के विलम्ब से मिलीभगत कर दर्ज करायी गयी है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–03 जो कि प्रार्थी महेन्द्र कुमार मीना ने दर्ज करायी है, उसने उक्त रिपोर्ट में दुर्घटना में मृतक मनीष व परिवादी महेन्द्र कुमार मीना ने शरीर में चोटें आना और ईलाज में व्यस्त रहने के कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी होने का स्पष्ट अंकन किया है। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी की विलम्ब से एफ.आई. आर. दर्ज कराने की आपत्ति के संबंध में यह नहीं माना जा सकता कि उक्त एफ.आई. आर. मिलीभगत कर या झूठा क्लेम प्राप्त करने के उद्देश्य से दर्ज करवायी गयी है। अतः बीमा कंपनी की उक्त आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हस्तगत दुर्घटना टैम्पू नम्बर आरजे 20 जी.बी. 4783 के चालक की लापरवाही से होने का प्रश्न है। इस संबंध में अधिकरण ने तनकी सं.–1 के निस्तारण में हस्तगत दुर्घटना प्रश्नगत वाहन पिकअप नम्बर आरजे 14 जी.सी. 8181 के चालक अप्रार्थी सं. –2 द्वारा अपने वाहन को अचानक से लापरवाहीपूर्वक प्रश्नगत वाहन को चलाने के कारण घटित होना माना है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता बीमा कम्पनी की यह आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कम्पनी के यहां बीमित होने का प्रश्न है, तो इस परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर संलग्न बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श–19 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत वाहन संख्या आरजे 14 जी.सी. 8181 अप्रार्थी सं.–3 बीमा कम्पनी के यहां दिनांक 18.02.2018 से 17.02.2019 तक के लिए बीमित था। हस्तगत दुर्घटना दिनांक 12.10.2018 की है अर्थात् दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन संख्या आरजे 14 जी.सी. 8181 अप्रार्थी सं.–3 बीमा कंपनी के यहां पूर्ण बीमित था।

इस तरह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कम्पनी द्वारा उठायी गई आपत्तियां स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः यह तनकी अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कम्पनी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं. 3

क्या प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हां तो राशि क्या होगी एवं किस अप्रार्थी से वसूल योग्य होगी ?

इस संबंध में जैसा कि अधिकरण ने तनकी सं.–1 व 2 को प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत किया है एवं यह प्रमाणित माना है कि हस्तगत दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक द्वारा अपने वाहन को लापरवाही से चलाये जाने के

कारण हुई है। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

प्रतिकर राशि निर्धारण करने हेतु सर्वप्रथम मृतक की आयु पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गयी याचिका में वक्त दुर्घटना मृतक मनीष की आयु—22 वर्ष होने का अंकन किया गया है, इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मृतक मनीष की 8वी बोर्ड पैटर्न परीक्षा, 2009 की अंकतालिका की प्रति का अवलोकन करें तो उक्त दस्तावेज में उसकी जन्म की तारीख 12.10.1995 होना अंकित है, जो कि ठोस दस्तावेजी साक्ष्य है, जिससे वक्त दुर्घटना मृतक की उम्र—23 वर्ष होना दर्शित होती है। अतः ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के समय मृतक की **आयु 23 वर्ष** माना जाना उचित रहेगा।

मृतक की दुर्घटना के समय उसके द्वारा अर्जित की जाने वाली आय के संबंध में विचार करें तो प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में मृतक मनीष द्वारा मै. जीवन सम्बल चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत कार्य कर 12000 रूपये व महिन्द्रा कोचेज में लेबर हैल्पर का कार्य कर 8,000 रूपये इस प्रकार कुल 20,000/—रूपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना जाहिर किया गया है, इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया जावें तो प्रार्थीगण ने प्रदर्श 20 स्वतंत्र ठेकेदार संविदा अनुबन्ध पेश किया गया है, जिसमें मृतक मनीष द्वारा जीवन सम्बल चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन कैम्पर को अपलोड कर उनकी साफ सफाई एवं धुलाई का कार्य करने बाबत उसे 400 रूपये प्रतिदिन भुगतान किये जाने का अंकन किया गया है। उक्त अनबन्ध पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त अनुबन्ध पत्र सादा कागज पर टाईप करवाया गया अनुबन्ध पत्र है, जिसे किसी भी प्रकार से स्टाम्पित अथवा नौटेरी पब्लिक से सत्यापित नहीं करवाया गया है, जिस कारण उक्त अनुबन्ध पत्र को मृतक की आय के सम्बन्ध में ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत महिन्द्रा कोचेज प्राईवेट लिमिटेड के अटेंडेंस का रजिस्टर पेश किया गया है, जिसमें मृतक मनीष दायमा का नाम अंकित किया गया है तथा उसकी हाजिरी की गई है, परन्तु उक्त रजिस्टर से भी मृतक को प्राप्त होने वाले वेतन के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं आई है। प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज अथवा मृतक का बैंक स्टेटमेंट, सैलेरी स्लिप आदि पेश नहीं किये गये है, जिससे न्यायालय के समक्ष यह जाहिर होता है कि वह नियमित रूप से उक्त संस्थाओं में कार्य कर वेतन प्राप्त कर रहा था। चूंकि प्रार्थी ने अपनी आय व व्यवसाय के संबंध में कोई प्रमाणिक दस्तावेज

अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों की अनुपालना में मृतक को एक अकुशल श्रमिक मानकर आय का निर्धारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तद्नुसार मृतक मनीष दायमा को एक अकुशल श्रमिक के बराबर आय अर्जित करना मानते हुए आय का निर्धारण किया जा रहा है। हस्तगत दुर्घटना दिनांक 12.10.2018 को कारित हुई है। अतः राजस्थान मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार वर्ष 2018 में एक अकुशल श्रमिक की आय 6390/–रूपये मासिक निर्धारित की गयी है। अतः मृतक की कुल मासिक आय **6390/–रूपये** अभिनिर्धारित की जाती है।

अतः वक्त दुर्घटना मृतक की आय तत्समय प्रवृत्त विधि अनुसार **6390/–रूपये** प्रति माह मानना उचित होगा। मृतक की मासिक आय में भविष्य में आय की बढोतरी होने की भी संभावना थी। अतः उक्त मासिक आय में भावी प्रत्याशा के **40 प्रतिशत** की राशि को भी जोडा जाना उचित है। इस प्रकार मृतक मनीष दायमा की दुर्घटना के समय मासिक आय **8946/–रूपये** होना प्रकट होती है।

मृतक पर आश्रितता के बिन्दु पर विचार करें तो क्लेम याचिका में प्रार्थीगण द्वारा यह जाहिर किया गया है कि मृतक मनीष दायमा की आय से ही उनके परिवार का लालन–पालन होता था और उसके पिता रमेश दायमा, माता श्रीमती संतोष, दादी श्रीमती कानी देवी, बहन निशा व भाई अमित उसकी ही आय पर आश्रित थे। अतः इस प्रकार मृतक मनीष दायमा पर कुल 5 आश्रित होने का कथन किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25.02.2021 का अवलोकन किया जावें तो न्यायालय द्वारा प्रार्थी सं. 4 व 5 को आश्रित नहीं माना गया है। अतः प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 को ही मृतक पर आश्रित माना जाना न्यायोचित है। परन्तु प्रार्थी सं. 4 व 5 मृतक मनीष दायमा के छोटे भाई–बहन है, जिन्हें उक्त दुर्घटना में उनके भाई की मृत्यु होने के कारण अपने बड़े भाई के सहचर्य से वंचित रहना पड़ा है। अतः उक्त प्रार्थीगण सं. 4 व 5 को सहचर्य की हद तक प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। चूंकि पत्रावली के अवलोकन से यह समक्ष आया है कि मृतक मनीष दायमा अविवाहित था। अतः इस परिप्रेक्ष्य में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर मृतक मनीष दायमा के स्वयं पर किये जाने वाले खर्चे 1/2 भाग को उसकी मासिक आय में से कम किया जाना उचित रहेगा। मृतक के उसके स्वयं पर किये जाने वाले खर्चों को कम किये जाने के उपरांत प्रति माह आय **4473/**–रूपये संगणित होती है। चूंकि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में 18 **का गुणांक** प्रयुक्त किया जाना उचित रहेगा। इस प्रकार मृतक की कुल आय 4473 x 12 x

18 = **9,66,168/— रूपये** की प्रार्थीगण को क्षति होना प्रकट होता है, जिसे प्रार्थीगण को दिलाया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 मृतक मनीष दायमा की असामयिक मृत्यु होने के कारण सुख व सहचर्य से वंचित हुए है। इसलिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि. बनाम प्रणय सेठी आदि में पारित दिशा निर्देशानुसार **40,000/—रुपये** प्रति प्रार्थी के हिसाब से **40,000 x 5** कुल **2,00,000/—रूपये सहचर्य सुख से** वंचित होने पेटे एवं मृतक के **अंतिम संस्कार पेटे 15,000/— रुपये** एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में दुर्घटना में मृतक के कीमती कपड़े फट जाना आदि गुम होना अंकित किया गया है इसलिये **सम्पदा हानि पेटे 15,000/— रुपये** बतौर प्रतिकर राशि प्रार्थीगण को दिलायी जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता क्लेमेंट ने माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित नजीर सविता देवी व अन्य बनाम एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व अन्य 2025(1) आर.ए.आर. 103 (एस.सी.) पेश कर प्रार्थना की है कि इस प्रकरण में 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर अवार्ड पर नियमानुसार प्रदान किया जावे। सम्मानित न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। इस प्रकरण में 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पारित अवार्ड पर प्रदान किये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं.3 बीमा कम्पनी की ओर से कोई न्यायिक नजीर पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थीगण पारित अवार्ड पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है।

इस प्रकार प्रार्थीगण उपरोक्त कुल क्षतिपूर्ति राशि **11,96,168/—रूपये (अक्षरे ग्यारह लाख छियानवे हजार एक सो अड़सठ रूपये)** अप्रार्थीगण से संयुक्तः एवं पृथक्—पृथक् प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

तनकी संख्या—4 अनुतोष :—

उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका अप्रार्थीगण संख्या—1 लगायत 3 के विरूद्ध स्वीकार की जाती है। अतः प्रार्थीगण रमेश दायमा व अन्य कुल **11,96,168/—रूपये (अक्षरे ग्यारह लाख छियानवे हजार एक सो अड़सठ रूपये)** क्लेम याचिका प्रस्तुति दिनांक 04.05.2019 से क्लेम की अदायगी होने तक 09 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या—1 लगायत 3 से संयुक्ततः और पृथक्—पृथक् रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। चूंकि उपर तनकी संख्या–1 में किये गये विवेचन से प्रकरण में यह प्रमाणित है कि उक्त दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन पिकअप नम्बर आरजे 14 जी.सी. 8181 के चालक द्वारा उक्त वाहन को लापरवाही से चलाये जाने के कारण मनीष दायमा की मृत्यु कारित हुई है, जिससे उक्त वाहन के चालक की लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जा सकता। चूंकि वाहन चालक अप्रार्थी सं. 2 द्वारा वाहन स्वामी अप्रार्थी सं. 1 के नियोजन में उसके हितार्थ व लाभार्थ उक्त वाहन का चालन किया जा रहा था। अतः उक्त याचिका में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 को अपने क्षतिपूर्ति अदायगी के दायित्व से मुक्त नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त याचिका में प्रार्थीगण को प्रतिकर राशि की अदायगी अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 द्वारा संयुक्ततः एवं पृथक्–पृथक् रूप से करना न्यायोचित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह व अन्य(2004) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **"भुगतान करो और वसूलो"** का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने सम्मानित न्यायिक निर्णयन में यह व्यवस्था दी है कि यदि बीमा कंपनियों द्वारा अपने दायित्व से बचने का कथन किया जाता है तो यह स्थापित करना अनिवार्य होगा कि वाहन के स्वामी की ओर से बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकरण में बीमा कंपनी द्वारा यह तथ्य साबित किया गया है। अतः इस प्रकरण में **"भुगतान करो और वसूलो"** का सिद्धान्त लागू होता है।

इस परिप्रेक्ष्य में विकेरियस दायित्व के विधिक सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया गया है कि कोई व्यक्ति (जैसे वाहन स्वामी) अपने प्रतिनिधि (जैसे चालक) के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, यदि वह कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में किया गया हो। मोटर दुर्घटना के मामलों में यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि वाहन स्वामी चालक की लापरवाही के लिए उत्तरदायी हो सकता है, भले ही वह स्वयं दुर्घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो। अतः इस आधार पर वाहन चालक अप्रार्थी संख्या–2 एवं वाहन स्वामी अप्रार्थी संख्या–1 का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना न्यायसंगत है।

इस प्रकार विकेरियस दायित्व वाहन स्वामी के उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है, जबकि **''पे एंड रिकवर''** सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित पक्ष को शीघ्र और प्रभावी राहत मिले और बीमा कंपनी बाद में अपनी वसूली की प्रक्रिया चला सके। यह

सिद्धांत **सामाजिक कल्याण और न्यायिक पुनर्स्थापन (Equitable Restitution)** की भावना पर आधारित है। उक्त प्रकरण में चालान पेश हुआ है, जिससे यह सिद्ध है कि चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से गाड़ी संचालित की जा रही थी, जिसके लिये चालक अधिकृत नहीं था।

निष्कर्षतः इस प्रकरण में **05 प्रतिशत** प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या–1 व 2 से वसूल किये जाने का आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए **प्रथमतः संपूर्ण प्रतिकर राशि अप्रार्थी संख्या–3 तीन माह के भीतर मय ब्याज प्रार्थीगण को अदा करे।** तत्पश्चात् **अप्रार्थी संख्या–3, अप्रार्थी संख्या–1 व 2 से उक्त 05 प्रतिशत प्रतिकर राशि की वसूली की कार्यवाही कर सकेगी।** अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कंपनी उक्त 05 प्रतिशत वसूली की राशि में से अप्रार्थी संख्या–2 वाहन चालक से 20,000/–रूपये तथा शेष राशि अप्रार्थी संख्या–1 वाहन स्वामी से वसूल करने के लिये अधिकृत होगी।

क्लेम याचिका में वर्णित शेष प्रतिकर राशि की प्रार्थीगण की प्रार्थना साक्ष्याभाव के कारण अस्वीकार की जाती है।

– पं चा ट –

अतः प्रार्थीगण रमेश दायमा, श्रीमती संतोष व श्रीमती कानी देवी, कुमारी निशा व अमित की ओर से प्रश्नगत सड़क दुर्घटना में **मनीष दायमा की मृत्यु हो जाने** के परिणामस्वरूप प्रस्तुत यह याचिका अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम अप्रार्थी के विरुद्ध स्वीकार की जाकर कुल **11,96,168/–रूपये (अक्षरे ग्यारह लाख छियानवे हजार एक सो अड़सठ रूपये)** का अवार्ड पारित किया जाता है। प्रार्थीगण उक्त राशि पर याचिका प्रस्तुति तिथि दिनांक **04.05.2019** से वसूली की तिथि तक 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्तानुसार अप्रार्थी संख्या–3, तीन माह के भीतर संपूर्ण प्रतिकर राशि मय ब्याज अदा करें।

अप्रार्थीगण से प्रतिकर राशि वसूल होने पर प्रार्थीगण को निम्नानुसार भुगतान किया जावे :–

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाते में जमा योग्य राशि	सावधि जमा खाते में जमा योग्य राशि	सावधि जमा की अवधि
1.	श्री रमेश दायमा (मृतक का पिता)	1,86,168/–रूपये + 50% ब्याज	1,00,000/–रूपये 2,00,000/– रूपये	एक वर्ष के लिये, दो वर्ष के लिये

2.	श्रीमती संतोष (मृतक की माता)	1,80,000 / – रूपये + 50% ब्याज	1,00,000 / –रूपये 2,00,000 / – रूपये	एक वर्ष के लिये, दो वर्ष के लिये
3.	श्रीमती कानी देवी (मृतक की दादी)	50,000 / –	1,00,000 / –रूपये	एक वर्ष के लिये,
4.	कुमारी निशा	40,000 / –	---	---
5.	अमित	40,000 / –	---	---
योग :–		**4,96,168 / –रूपये व संपूर्ण ब्याज**	**7,00,000 / –रूपये**	**—**

प्रतिकर राशि का भुगतान प्रार्थीगण को उनके बचत खाते के माध्यम से किया जावे। सावधि जमा की राशि परिपक्वता से पूर्व इस न्यायाधिकरण की इजाजत के बिना आहरित / भुगतान नहीं की जा सकेगी, सावधि जमा राशि पर किसी प्रकार का अग्रिम, ऋण देय नहीं होगा।

प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए **प्रथमतः संपूर्ण प्रतिकर राशि अप्रार्थी संख्या–3 तीन माह के भीतर मय ब्याज प्रार्थीगण को अदा करे।** तत्पश्चात् **अप्रार्थी संख्या–3, अप्रार्थी संख्या–1 व 2 से उक्त 05 प्रतिशत प्रतिकर राशि की वसूली की कार्यवाही कर सकेगी।** अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कंपनी उक्त 05 प्रतिशत वसूली की राशि में से अप्रार्थी संख्या–2 वाहन चालक से 20,000 / –रूपये तथा शेष राशि अप्रार्थी संख्या–1 वाहन स्वामी से वसूल करने के लिये अधिकृत होगी।

इस निर्णय के साथ ही इस प्रकरण के समस्त बिंदू व अन्य विविध प्रार्थना पत्र (यदि कोई लम्बित हों), तो वे सभी एतद्द्वारा अस्वीकार कर निस्तारित कर दिये गये, समझे जावें।

पक्षकारान अथवा उनके विद्वान अधिवक्तागण के संज्ञान में उक्त आदेश से संबंधित किसी भी लिपिकीय त्रुटि के आने पर उनके द्वारा अधिकरण को अवगत करवाया जा सकेगा।

प्रार्थीगण को उनका बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा बैंक खाता विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रतिकर राशि का भुगतान **न्यायाधिकरण के बैंक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक–शाखा दूदू, ब्रांचः**

दूदू(418), खाताधारक– न्यायाधीश, मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण के खाता संख्या– 83055610426 आईएफएससी कोड–RMGB0000418 में जरिए NEFT/RTGS जमा करवाकर सूचना नियमानुसार न्यायाधिकरण में भिजवाई जावे। तदनुसार अंतिम पंचाट नियमानुसार तैयार किया जावे।

(शिव कुमार II)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,
दूदू, जिला जयपुर

11. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.07.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव कुमार II)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,
दूदू, जिला जयपुर